



विषय:- **Extension of lease period of village pond.**

\*\*\*\*\*

क्या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार मत्स्य पालन विभाग उपरोक्त विषय पर आपने अशा पत्र क्रमांक 1303/म0प0-2-2013/2345 दिनांक 30.12.2013 की और ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

कृपया विषयाधीन केस में इस कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 16.07.2013 जिस द्वारा पंजाब ग्राम शामलात (विनियमन) नियमावली, 1964 के नियम 6(6) (ख) में किये गये प्रावधान अनुसार मछली पालन हेतु गांवों में तालाबों की पट्टा अवधि 5 वर्ष से 8 वर्ष की गई है की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

उप-अधीक्षक(सा0)

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,  
विकास एवं पंचायत विभाग

सेवा में,

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार  
मत्स्य पालन विभाग,

अशा क्रमांक एस.बी.एस.4-2013/ 3408-3409

दिनांक 17/1/14

पृष्ठ क्रमांक एस.बी.एस.4-2013/ 3408-3409

दिनांक 17/1/14

इसकी एक प्रति निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा, पंचकूला को इस कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 16.07.2013 जिस द्वारा पंजाब ग्राम शामलात (विनियमन) नियमावली, 1964 के नियम 6(6) (ख) में किये गये प्रावधान अनुसार मछली पालन हेतु गांवों में तालाबों की पट्टा अवधि 5 वर्ष से 8 वर्ष की गई है की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है

उप-अधीक्षक(सा0)

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,  
विकास एवं पंचायत विभाग

DF  
22/1/14  
DAF

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT****Notification**

The 16th July, 2013

**No. S.O. 63/P.A. 18/1961/S.15/2013.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Punjab Village Common Land (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in their application to the State of Haryana, namely:—

1. These rules may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Rules, 2013.
2. In the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in rule 6, in sub-rule (6), in clause (ii), for the word "five", the word "eight" shall be substituted.

राम निवास  
प्रधान सचिव, विकास विभाग  
हaryana सरकार, रोहतास

RAM NIWAS,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.

भाग - III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जुलाई, 2013

संख्या का०आ० 63/पं०अ० 18/1961/धा० 15/2013.— पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18), की धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964, को हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में, नियम 6 में, उपनियम 6 में, खण्ड (ii) में, "पॉच" शब्द के स्थान पर, "आट" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राम निवास,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

भाग - III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जुलाई, 2013

संख्या का०आ० 63/पं०अ० 18/1961/घा० 15/2013.— पंजाब ग्राम शामिलता भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18), की धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब ग्राम शामिलता भूमि (विनियमन) नियम, 1964, को हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब ग्राम शामिलता भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब ग्राम शामिलता भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में, नियम 6 में, उपनियम 6 में, खण्ड (ii) में, " पाँच " शब्द के स्थान पर, " आठ " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राम निवास,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT****DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT****Notification**

The 16th July, 2013

**No. S.O. 63/P.A. 18/1961/S.15/2013.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Punjab Village Common Land (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in their application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Rules, 2013.
2. In the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in rule 6, in sub-rule (6), in clause (ii), for the word "five", the word "eight" shall be substituted.

RAM NIWAS,

Principal Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.